दूरभाष : 2569696}PBX

जयपुर विकास प्राधिकरण

इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004

क्रमांक ज.वि.प्रा./स.स./बी.पी.सी.(बीपी)/2018/डी– 111 दिनांक : 19/1/2018

आनन्द अपना होम्स एल.एल.पी.,
जरिये पार्टनर,
श्री पंकज शर्मा एवं श्रीमती दौली देवी,
जरिये मुख्यत्यारआम, श्री पंकज शर्मा,
ई–11, आनन्द विहार कॉलोनी, जगतपुरा,
जयपुर।

विषयः– खसरा नम्बर 189/1, 190, 191/1, 191, 647/977, 648/978, 649/979, ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील सांगानेर, टौंक रोड़, जयपुर के मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका प्रकरण भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 200वीं बैठक दिनांक 03.01.2018 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें लिये गये निर्णयानुसार आप निम्न कार्यवाही करें :–

1. अग्निशमन संबंधी आवश्यक मानदण्डों की अनुपालना सुनिश्चित किये जाने बाबत, पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में तथा लेबर सेस लेबर डिर्पाटमेन्ट में जमा करवाने बाबत राज्यादेश दिनांक 27.06.2017 एवं 193वीं बैठक दिनांक 30.06.2017 में लिये गये नीतिगत निर्णय के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
2. भूखण्ड में से एल.टी. लाईन गुजर रही है, जिसे आप द्वारा स्वयं के खर्चे से हटवायें जाने बाबत् अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करें।
3. जविप्रा द्वारा जारी स्थल मानचित्र में भूखण्ड़ के सामने दर्शित प्रस्तावित 48 सेक्टर सड़क के स्थान पर वर्तमान में मौके पर 9 मीटर से लेकर 12 मीटर चौड़ाई में सड़क उपलब्ध है। अतः वर्तमान में मौके पर उपलब्ध 9 मीटर से लेकर 12 मीटर चौड़ी सड़क के अनुसार तथा मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधानानुसार 15 मीटर ऊँचाई के भवन मानचित्र अनुमोदित किये जावें। अतः आप 15 मीटर ऊँचाई के भवन मानचित्र प्रस्तुत करें तथा उक्त 48 मीटर सेक्टर सड़क को निर्मित होने के उपरान्त सम्पूर्ण ऊँचाई (27.50 मीटर) के भवन मानचित्र जारी कर दिये जावेगें।

उपरोक्त के अतिरिक्त कृपया निम्न प्रकार राशि प्राधिकरण परिसर स्थित बैक में जमा करवाकर चालान की प्रति प्रस्तुत करें जिससे प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

1.	मलबा धरोहर राशि	रू0	10,000/–
2.	वर्षा जल संग्रहण हेतु अमानता राशि	रू0	5,00,000/–
3.	व्यावसायिक रूपान्तरण शुल्क	रू0	8,63,488/–
	कुल राशि (लेने योग्य)	रू0	13,73,488/–

नोटः–

1. मांग पत्र जारी दिनांक से दो माह के भीतर मांग राशि जमा नहीं करवाने पर मानचित्र निरस्त कर दिये जावेगें तथा प्रकरण में पुनः छः माह के भीतर आवेदन भी स्वीकार नहीं किया जावेगा।

भवदीय,

19/1/18

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
एवं सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

E:\New Folder\bpc-2\bpc\Letters\Letter Head-2017.doc

map Senction Latter

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

ज.वि.प्रा./स.स./बी.पी.सी.(बीपी)/2018/डी–376 दिनांकः– 27/2/2018

आनन्द अपना होम्स एल.एल.पी.,
जरिये पार्टनर,
श्री पंकज शर्मा एवं श्रीमती दौली देवी,
जरिये मुख्यत्यारआम, श्री पंकज शर्मा,
ई–11, आनन्द विहार कॉलोनी, जगतपुरा,
जयपुर।

विषयः– खसरा नम्बर 189/1, 190, 191/1, 191, 647/977, 648/978, 649/979, ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील सांगानेर, टौंक रोड़, जयपुर के मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

महोदय,

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 30.11.2017 के संदर्भ में जो प्रस्ताव खसरा नम्बर 189/1, 190, 191/1, 191, 647/977, 648/978, 649/979, ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील सांगानेर, टौंक रोड़, जयपुर में स्थित भूखण्ड (भूखण्ड का क्षेत्रफल = 10193.78 वर्गमीटर) पर 15 मीटर ऊँचाई (बेसमेन्ट + भूतल + 04 तल) के मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित भवन के भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये थे, उनकी स्वीकृति भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 200वीं बैठक दिनांक 03.01.2018 के निर्णयानुसार निम्न शर्तो के साथ दी जाती हैः–

1. यह भवन अनुज्ञा अगस्त–2021 (मुख्यमंत्री जन आवास योजना की सामान्य शर्त संख्या 3 (A) के अनुसार) तक प्रभावी है।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्त्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान के अनुरूप है यदि कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, प्राधिकरण को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों को दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी प्राधिकरण में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
4. आप द्वारा भवन विनियम 2010 की धारा 15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा। जिसमें संबंधित आयुक्त/उपायुक्त संबंधित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्ते अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।
5. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप उपायुक्त जोन–14 प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेगे।
6. आप द्वारा भवन विनियम 2010 की धारा 15.3 के अनुसार भवन निर्माण द्वारा प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से उपायुक्त जोन 14 को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।
7. भवन विनियम 2010 की धारा 15.6 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
8. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पडे या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
9. दरवाजे एवं खिड़कियाँ इस प्रकार लगाए जायेगें कि वो सडक की ओर निकले हुए नहीं हों।
10. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत आवासीय ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
11. ऊपर वर्णित शर्तों एवं मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 से संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।
12. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
13. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण–पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।

E:\New Folder\bpc-2\bpc\Section letter\Afordable.doc

14. स्वीकृत मानचित्र को प्राप्ति दिनांक से राज्य स्तर के समाचार–पत्र में एक सप्ताह में प्रकाशित करने होगें।
15. स्वीकृत मानचित्र में विभिन्न वर्गों के लिए फ्लेट्सों की संख्या के साथ संबंधित कन्स्ट्रेक्शन फर्म का नाम निर्माण प्रारम्भ करने की दिनांक व निर्माण पूर्ण करने की संभावित अवधि मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होगें।
16. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना भवन विनियम 2011 के विनियम 10.1.8 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।
17. भवन परिसर में आगतुकों की पार्किंग करवाई जाए तथा आगंतुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
18. प्राईवेट डवलपर्स (निजी विकासकर्ता) को मौके पर क्वालिटी कन्ट्रोल लैब स्थापित करनी होगी ताकि निर्माण कार्य की गुणवत्ता की समय–समय पर जाँच की जाए।
19. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होगें।
20. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावें।
21. भवन का उपयोग प्रांरभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावें जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व उपायुक्त जोन को सूचना उपलब्ध करवाई जावें ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
22. भवन विनियम 2010 की धारा 17.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वत निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
23. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगें।
24. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर सम्पूर्ण ब्यौरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की ओर) लगाया जावे, जिससे सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
25. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते है कि आप द्वारा पर्यावरण अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना अपने स्तर पर सुनिश्चित की जावे तथा परियोजना के पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र नगरीय निकाय में जमा कराना होगा, उसके पश्चात ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
26. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री से आसपास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगवाये जावें।
27. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावें।

संलग्नः– मानचित्रों की प्रति का 1 सेट (09 मानचित्र)

भवदीय,
27/2/16

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य नियन्त्रक (प्रर्वतन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (09 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. उपायुक्त, जोन–14, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (09 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. सहायक नगर नियोजक, जोन–14, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर मानचित्रों की प्रति (09 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. सहायक नगर नियोजक, बीपीसी–बीपी, जविप्रा, जयपुर को सोईट निरीक्षण पत्रावली हेतु मानचित्रों की प्रति (09 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

E:\New Folder\bpc-2\bpc\Section letter\Afordable.doc

SHEET NO-01

SITE PLAN & RAIN WATER HARWESTING PLAN
scale = 1:250

S.NO.	REFERENCE :-
1.	TOTAL PLOT AREA = 10193.78 SQ.MT.
2.	PERMISSIBLE B.A.R. = 10193.78 x 3.375 = 34404.00 SQ.MT. ROAD 48.0 M. SURRENDERED F.A.R. = 313.19 SQ.MT. (34404.00 + 313.19) = 34717.20 SQ.MT.
3.	PROPOSED B.A.R. = 17424.00 Sq.mt. (1.67 %)
4.	PERMISSIBLE GROUND COVERAGE = 50.00 % (AS PER CMJAY)
5.	PROPOSED GROUND COVERAGE = 3779.19 Sq.mt. (37.07 %)
6.	PERMISSIBLE LANDSCAPE (10%) = 1019.37 SQM.
7.	PROPOSED LANDSCAPE (21.59%) = 2201.09 SQM.
8.	TOTAL UNIT LIG = 248 (68.32%) EWS = 115 (31.68%) TOTAL UNIT AREA (Sq.mt.)
9.	E.C.U. REQUIRED = LIG = 248 x 2 = 496 SCOOTER = EWS = 115 x 1 = 115 SCOOTER COMMERCIAL = 269.84 / 75 = 3.59 x 1.25 = 4.48 CAR = 4 SCOOTER = 2 TOTAL SCOOTER = 613 SCOOTER
10.	E.C.U. PROPSED = 4 CAR = 1185 SCOOTER

AREA BLOCK A		EWS	LIG	TOTAL
BUILT-UP		2979.65	10443.30	13422.90
SUPER BUILT-UP		3959.45	12974.80	16934.30
CARPET	CMJAY	2678.35	9414.08	12092.40
	RERA	2751.95	9743.92	12495.90

COMMERCIAL
PERMISSIBLE (2%) = 348.48 Sq.mt. ACHIEVED (1.54%) = 269.84 Sq.mt. EXCEED = 0.00 Sq.mt.
SERVICES:- (STP, ELECTRIC SUB STATION, U.G. TANK, GUARD ROOM,
PERMISSIBLE (7%) = 1219.68 Sq.mt. ACHIEVED (0.92 %) = 161.88 Sq.mt. EXCEED = 0.00 Sq.mt.
CLUB
PERMISSIBLE (5%) = 871.20 Sq.mt. ACHIEVED (2.07%) = 361.33 Sq.mt. EXCEED = 0.00 Sq.mt.

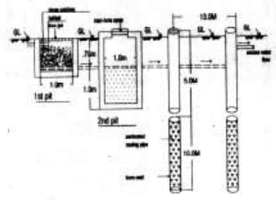

SECTION THROUGH R.W. HARWESTING PITS

AREA CALCULATION BLOCK-A (AREA IN SQ. MTR.)

S.NO.	FLOOR	GROSS BUILTUP	FIRE STAIR	CHAJJA	BUILTUP AREA	CLUB HOUSE	B.A.R.	COMMERCIAL	BALCONY	CORRIDOR	STAIR WELL	LIFT WELL
	BASEMENT	4390.87			4390.87	-	-					
1	GROUND	2049.99	26.25	31.83	1991.91	361.33	1630.58	269.84	47.60	240.96	25.36	19.93
2	FIRST	1924.18	26.25	43.46	1854.47	-	1854.47	-	66.63	246.53	25.36	19.93
3	SECOND	1924.18	26.25	43.46	1854.47	-	1854.47	-	66.63	246.53	25.36	19.93
4	THIRD	1924.18	26.25	43.46	1854.47	-	1854.47	-	66.63	246.53	25.36	19.93
5	FORTH	1924.18	26.25	43.46	1854.47	-	1854.47	-	66.63	246.53	25.36	19.93
6	MUMTY/ STAIR	143.08			143.08	-	-					
7	TOTAL	14280.70			13943.70	361.33	9048.46	269.84				

AREA CALCULATION BLOCK-B (AREA IN SQ. MTR.)

S.NO.	FLOOR	GROSS BUILTUP	FIRE STAIR	CHAJJA	BUILTUP AREA	B.A.R.	BALCONY	CORRIDOR	STAIR WELL	LIFT WELL
	BASEMENT	-			-	-				
1	GROUND	1740.72	25.80	33.00	1681.92	1681.92	55.10	237.30	25.36	19.93
2	FIRST	1732.21	25.80	33.00	1673.41	1673.41	55.10	239.57	25.36	19.93
3	SECOND	1732.21	25.80	33.00	1673.41	1673.41	55.10	239.57	25.36	19.93
4	THIRD	1732.21	25.80	33.00	1673.41	1673.41	55.10	239.57	25.36	19.93
5	FORTH	1732.21	25.80	33.00	1673.41	1673.41	55.10	239.57	25.36	19.93
6	MUMTY/ STAIR	71.09			71.09					
7	TOTAL	8740.65			8446.65	8375.56				

AREA CALCULATION BLOCK A+B (AREA IN SQ. MTR.)

S.NO.	FLOOR	GROSS BUILTUP	FIRE STAIR	CHAJJA	BUILTUP AREA	CLUB HOUSE	B.A.R.	COMMERCIAL	BALCONY	CORRIDOR	STAIR WELL	LIFT WELL
	BASEMENT	4390.87			4390.87	-	-					-
1	GROUND	3790.71	52.05	64.83	3673.83	361.33	3312.50	269.84	102.70	478.26	50.72	39.86
2	FIRST	3656.39	52.05	76.46	3527.88	-	3527.88	-	121.73	486.10	50.72	39.86
3	SECOND	3656.39	52.05	76.46	3527.88	-	3527.88	-	121.73	486.10	50.72	39.86
4	THIRD	3656.39	52.05	76.46	3527.88	-	3527.88	-	121.73	486.10	50.72	39.86
5	FORTH	3656.39	52.05	76.46	3527.88	-	3527.88	-	121.73	486.10	50.72	39.86
6	MUMTY/ STAIR	214.17			214.17	-	-					
7	TOTAL	23021.30			22390.40	361.33	17424.00	269.84				

LIG TABLE BLOCK-A (Ground,1st TO 4th FLOOR)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

EWS LIG TABLE BLOCK-B (Ground,1st TO 4th FLOOR)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

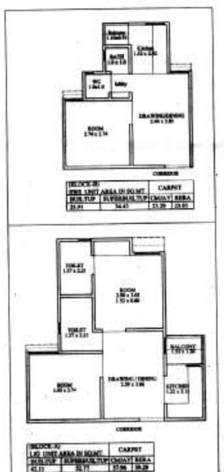

SHRI KRISHAN, ARCHITECT

SCALE = 1:100

PROJECT :-	OWNER	ARCHITECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL CHIEF MINISTER'S. JAN AWAS YOJANA - 2015 MODEL - 3A IN KHASRA NO - 189/1,190,190/1,191, 647/977,648/978, 649/979 IN VILLAGE - GOVINDPURA, TEH. - SANGANER, JAIPUR.	For ANAND ARNA HOMES LLP Designated Partner	SPACE GRID C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766,0141-4005506 (O) Email:-info.spacegrid@gmail.com

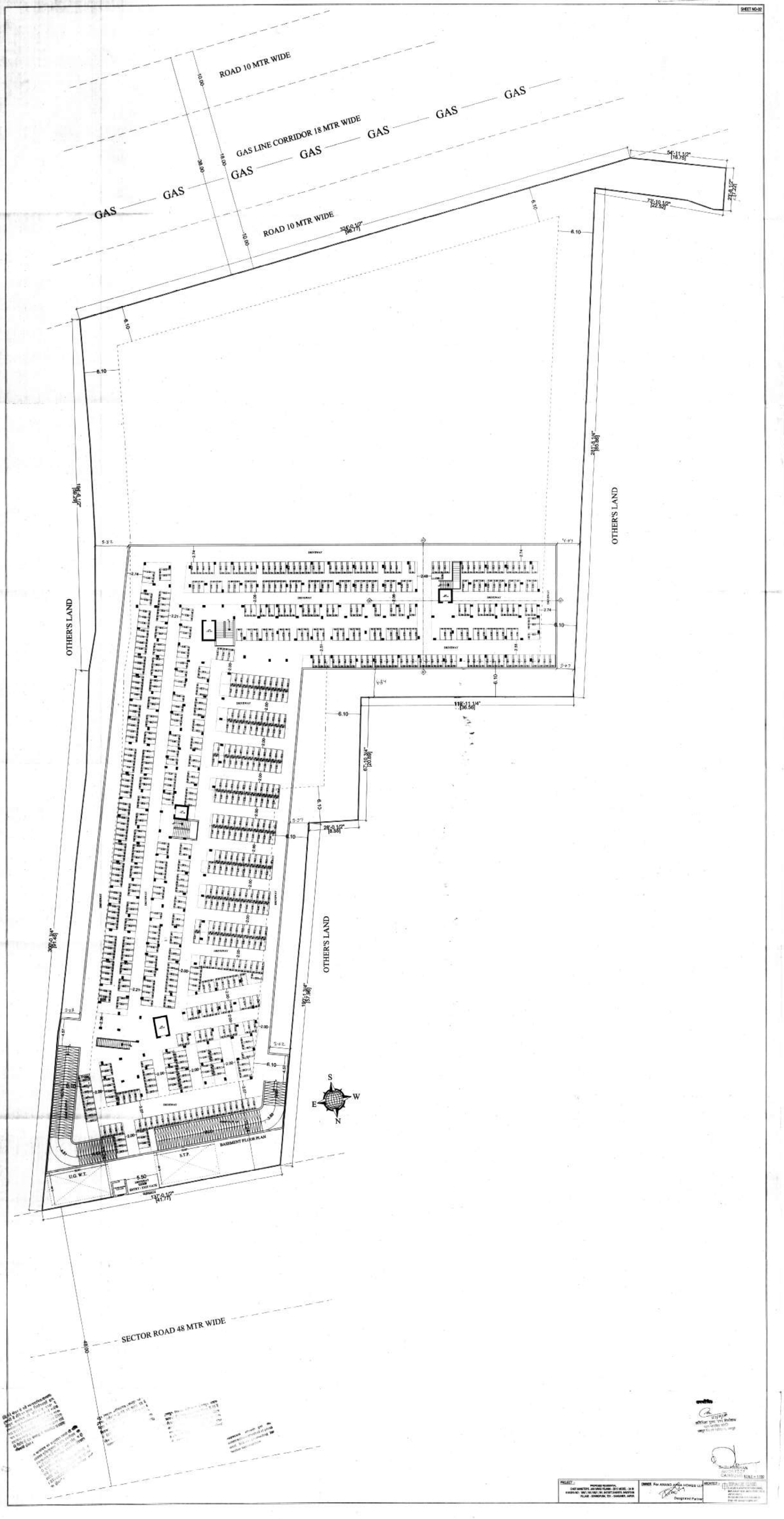
SHEET NO-02
ROAD 10 MTR WIDE
GAS LINE CORRIDOR 18 MTR WIDE
GAS
ROAD 10 MTR WIDE
OTHER'S LAND
OTHER'S LAND
OTHER'S LAND
DRIVEWAY
BASEMENT FLOOR PLAN
S.T.P.
U.G. W.T.
ENTRY / EXIT GATE
S
E
W
N
SECTOR ROAD 48 MTR WIDE
PROJECT
OWNER For ANAND APNA HOMES LLP
Designated Partner
ARCHITECT

SHEET NO-03
ROAD 10 MTR WIDE
GAS LINE CORRIDOR 18 MTR WIDE
GAS
ROAD 10 MTR WIDE
OTHER'S LAND
OTHER'S LAND
OTHER'S LAND
GROUND FLOOR PLAN (BLOCK-B)
GROUND FLOOR PLAN (BLOCK-A)
LANDSCAPE
S.T.P.
U.G.W.T.
SECTOR ROAD 48 MTR WIDE
S
E
W
N
SCALE = 1:150
PROJECT :-
OWNER For ANAND ABHA HOMES LLP
Designated Partner
ARCHITECT :-
SPACE GRID

SHEET NO-04
ROAD 38 MTR WIDE
324'-0 1/2" [98.77]
54'-11 1/2" [16.75]
73'-10 1/2" [22.52]
23'-8 1/2" [7.22]
281'-8 1/4" [85.86]
194'-6 1/2" [59.29]
300'-0 3/4" [91.46]
119'-11 1/4" [36.56]
67'-10 3/4" [20.69]
28'-0 1/2" [8.55]
190'-1 3/4" [57.96]
137'-0 1/2" [41.77]
TYPICAL 1ST TO 4th FLOOR PLAN (BLOCK-B)
1ST FLOOR PLAN (BLOCK-A)
OTHER'S LAND
OTHER'S LAND
OTHER'S LAND
6.10
7.62
15.24
5.50
ENTRY / EXIT GATE
SECTOR ROAD 48 MTR WIDE
S
W
E
N
SHRI KRISHAN
ARCHITECT
CA/99/25451
SCALE = 1:150
PROJECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL
OWNER
For ANAND APNA HOMES LLP
Designated Partner
ARCHITECT :-
SPACE GRID

SHEET NO-05

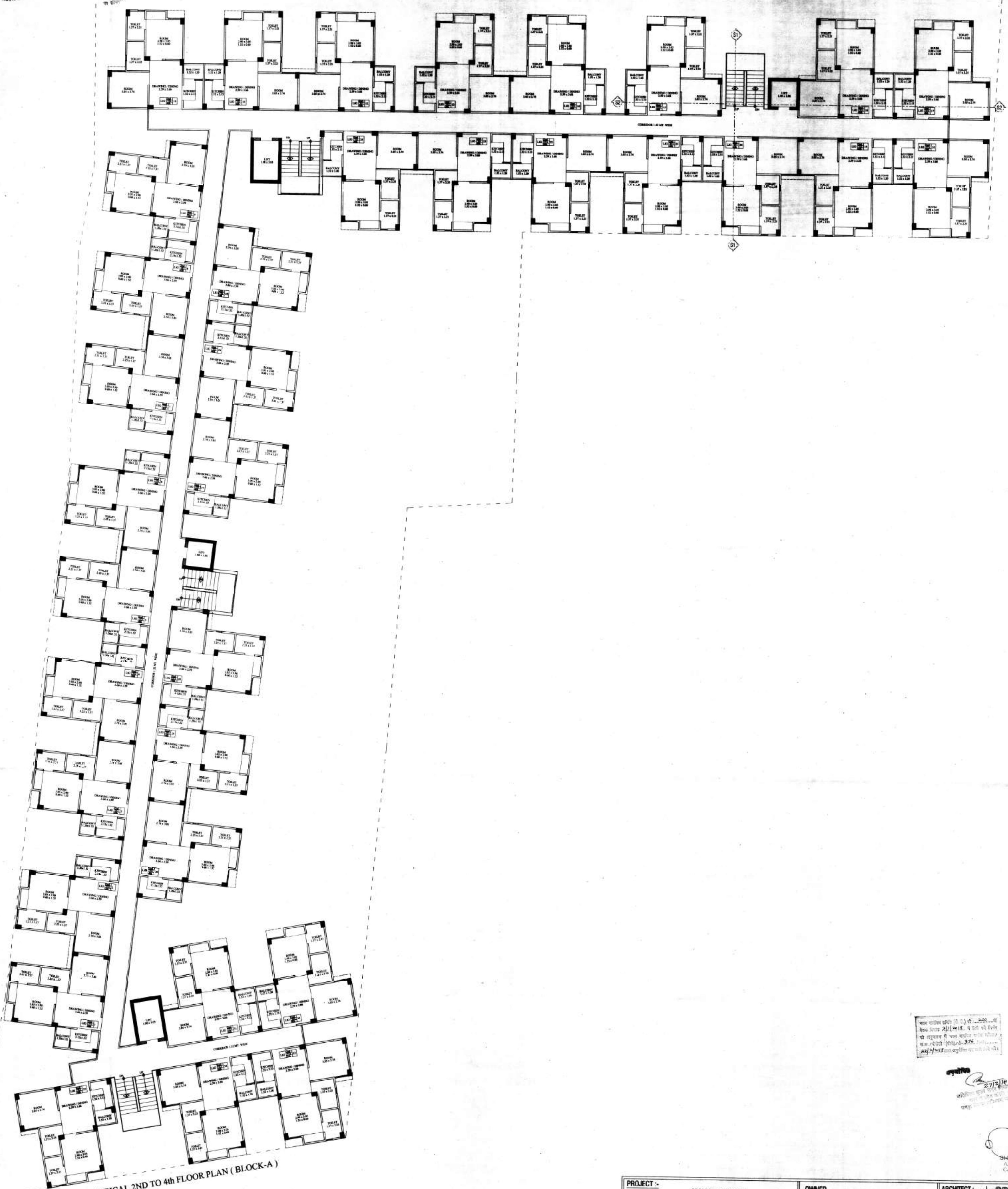

TYPICAL 2ND TO 4th FLOOR PLAN (BLOCK-A)

SHRI KRISHAN
ARCHITECT
CA/99/25451

SCALE = 1:100

PROJECT :-	OWNER	ARCHITECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL CHIEF MINISTER'S. JAN AWAS YOJANA - 2015 MODEL - 3A IN KHASRA NO - 189/1,190,190/1,191, 647/977,648/978, 649/979 IN VILLAGE - GOVINDPURA, TEH. - SANGANER, JAIPUR.	For ANAND APNA HOMES LLP Designated Partner	SPACE GRID C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766,0141-4005506 (O) Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHEET NO-06

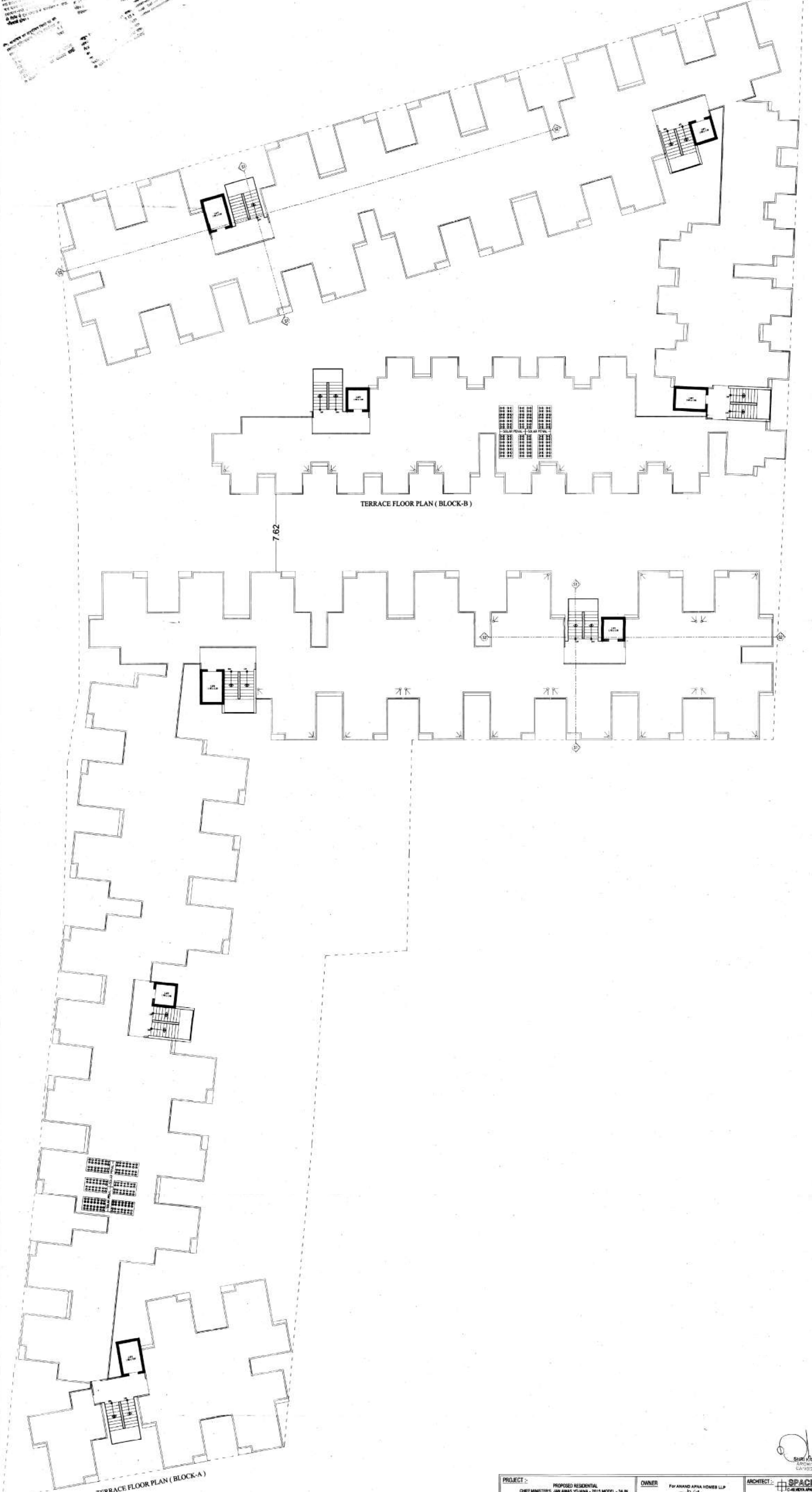

TERRACE FLOOR PLAN (BLOCK-B)

TERRACE FLOOR PLAN (BLOCK-A)

SHRI KRISHAN
ARCHITECT

SCALE = 1:100

PROJECT :-	OWNER	ARCHITECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL CHIEF MINISTER'S JAN AWAS YOJANA - 2015 MODEL - 3A IN KHASRA NO - 189/1,190,190/1,191, 647/977,648/978, 649/979 IN VILLAGE - GOVINDPURA, TEH. - SANGANER, JAIPUR.	For ANAND APNA HOMES LLP Designated Partner	SPACE GRID C-48 VIDYA APARTMENT, PARAS MARG, BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314916706,0141-4020900 (O) Email -info.spacegrid@gmail.com

SHEET NO-07

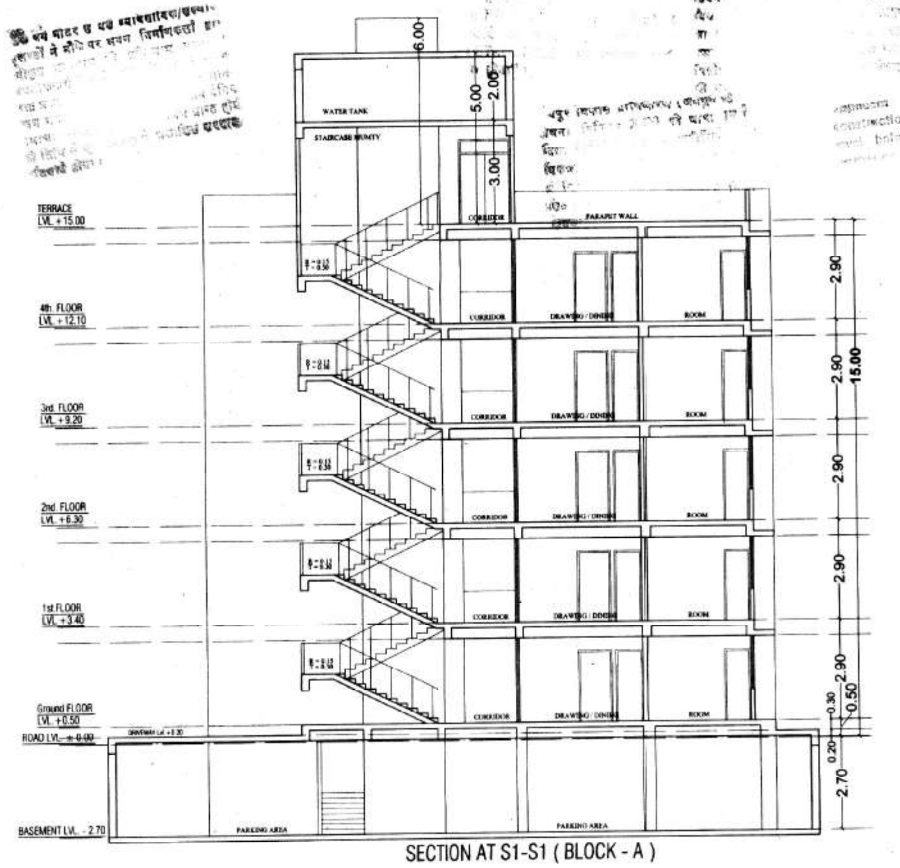

SECTION AT S1-S1 (BLOCK - A)

SECTION AT S2-S2 (BLOCK - A)

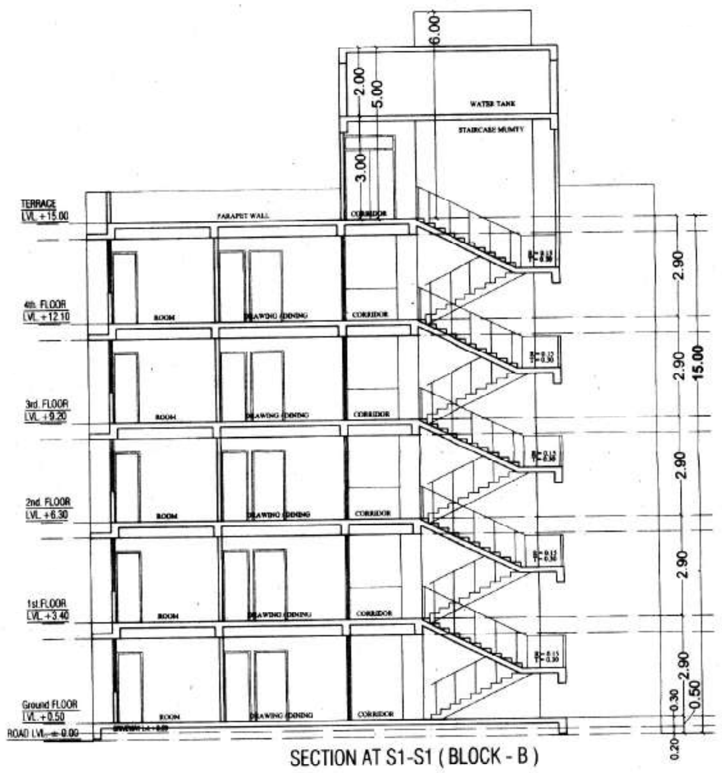

SECTION AT S1-S1 (BLOCK - B)

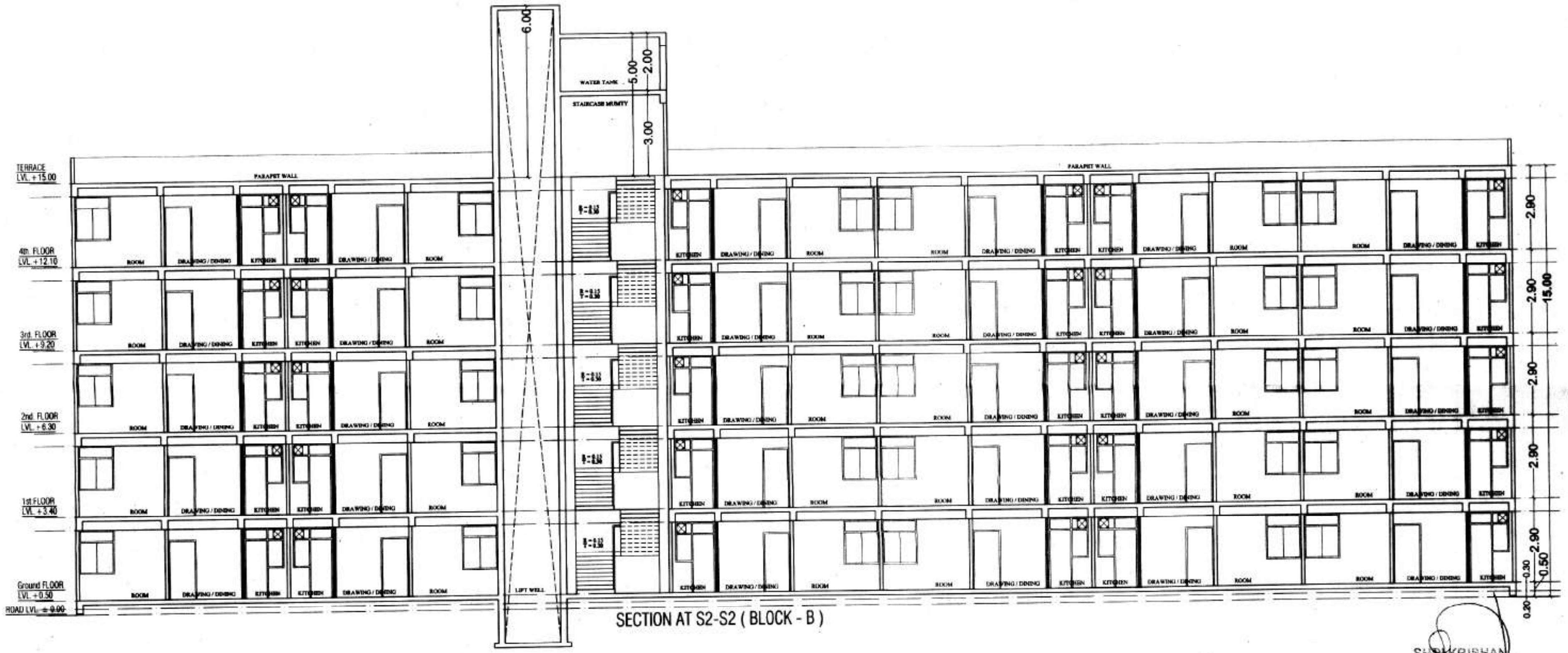

SECTION AT S2-S2 (BLOCK - B)

SHIVKRISHAN ARCHITECT CA/[illegible]

SCALE = 1:100

PROJECT :-	OWNER	ARCHITECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL CHIEF MINISTER'S. JAN AWAS YOJANA - 2015 MODEL - 3A IN KHASRA NO - 189/1,190,190/1,191, 647/977,648/978, 649/979 IN VILLAGE - GOVINDPURA, TEH. - SANGANER, JAIPUR.	For ANAND APNA HOMES LLP Designated Partner	SPACE GRID C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766,0141-4005506 (O) Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHEET NO-08

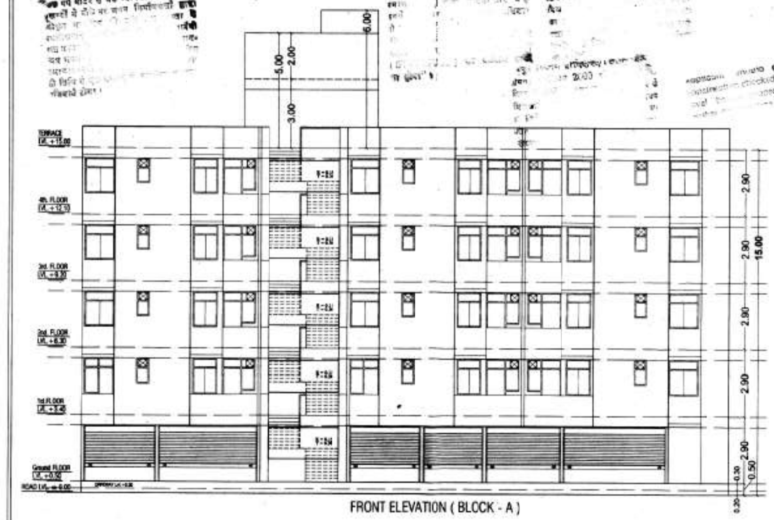

FRONT ELEVATION (BLOCK - A)

BACK SIDE ELEVATION (BLOCK - A)

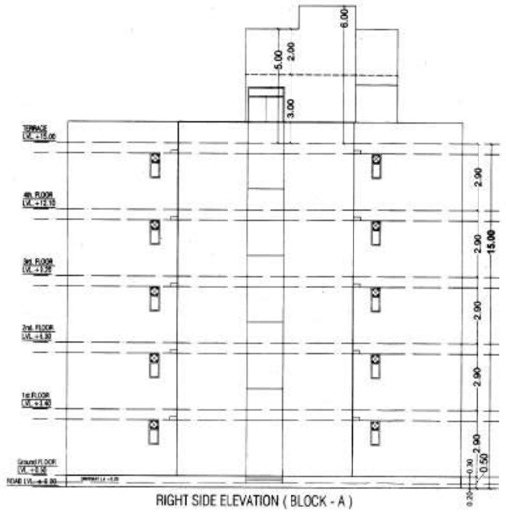

RIGHT SIDE ELEVATION (BLOCK - A)

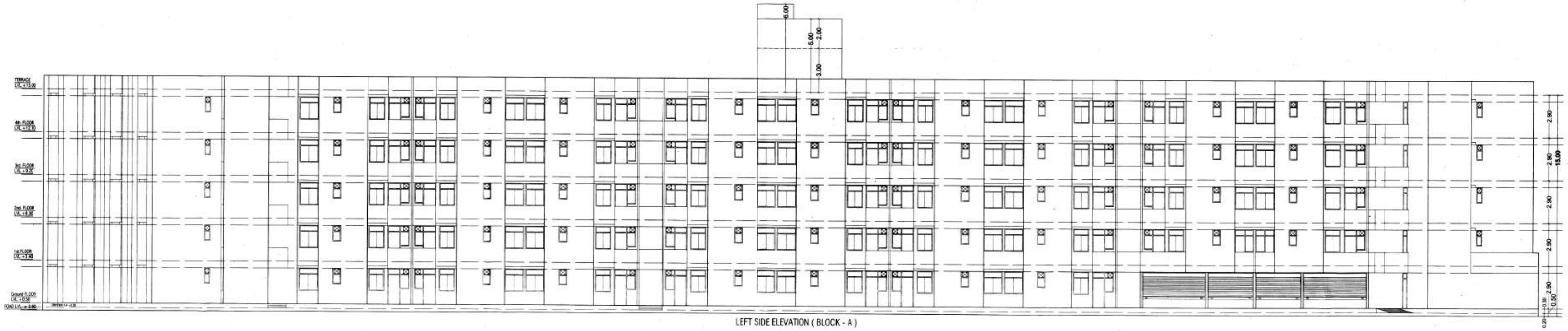

LEFT SIDE ELEVATION (BLOCK - A)

SCALE = 1:100

PROJECT :-	OWNER	ARCHITECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL CHIEF MINISTER'S. JAN AWAS YOJANA - 2015 MODEL - 3A IN KHASRA NO - 189/1,190,190/1,191, 647/977,648/978, 649/979 IN VILLAGE - GOVINDPURA, TEH. - SANGANER, JAIPUR.	For ANAND APNA HOMES LLP Designated Partner	SPACE GRID C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918786,0141-4005506 (O) Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHEET NO-09

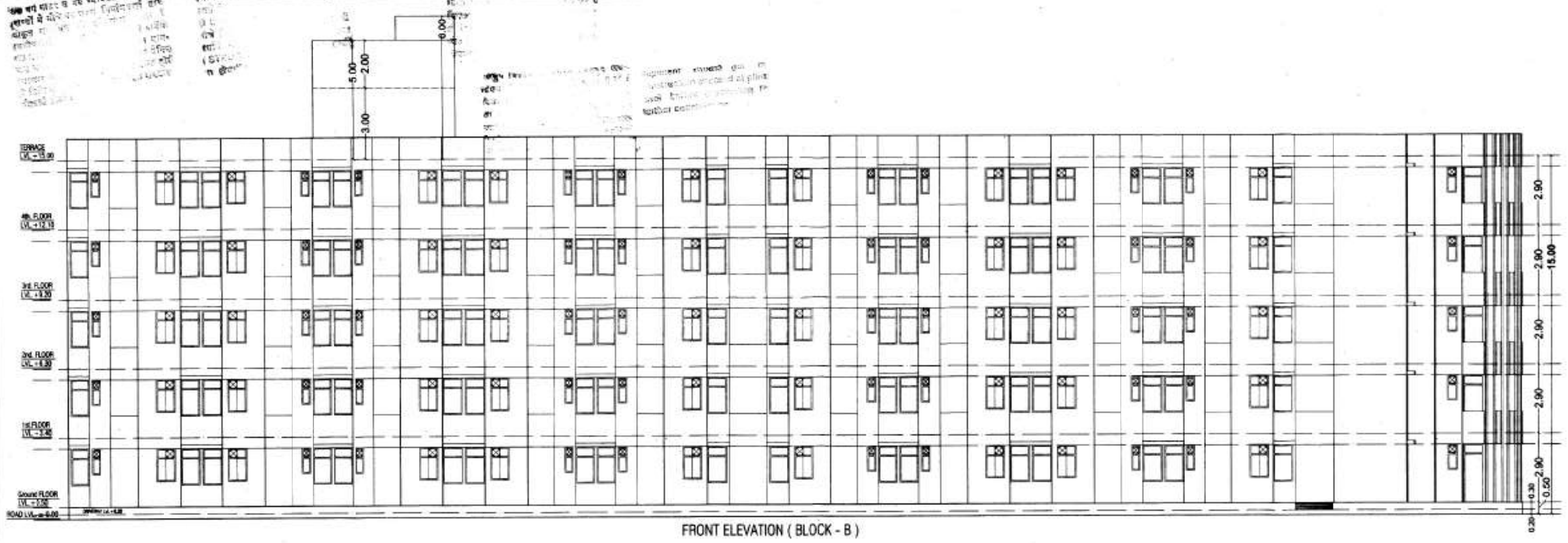

FRONT ELEVATION (BLOCK - B)

RIGHT SIDE ELEVATION (BLOCK - B)

BACK SIDE ELEVATION (BLOCK - B)

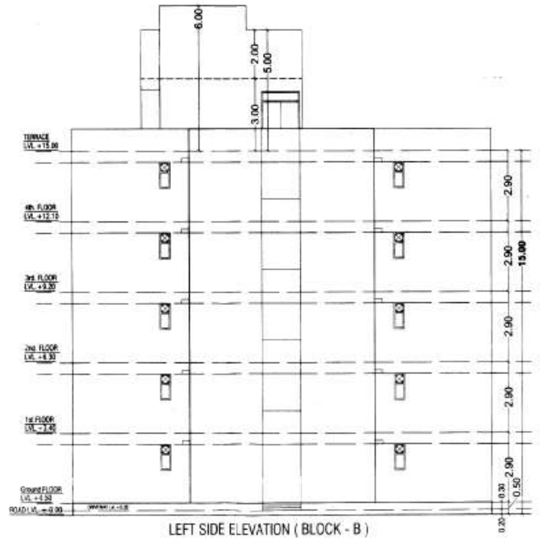

LEFT SIDE ELEVATION (BLOCK - B)

SCALE = 1:100

PROJECT :-	OWNER	ARCHITECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL CHIEF MINISTER'S. JAN AWAS YOJANA - 2015 MODEL - 3A IN KHASRA NO - 189/1,190,190/1,191, 647/977,648/978, 649/979 IN VILLAGE - GOVINDPURA, TEH. - SANGANER, JAIPUR.	For ANAND APNA HOMES LLP Designated Partner	SPACE GRID C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766,0141-4005506 (O) Email.-info.spacegrid@gmail.com